

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 40/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त, 2018

सा.का.नि. .... (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995, के नियम 18 और 20 के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 15 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 232 (अ), दिनांक 15 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 से 5 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि “ 2941 90 30, 2941 90 60, 2941 90 60 या 3004 20 34” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(फाइल संख्या 354/59/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 15 मार्च, 2018 को सा.का.नि. 232 (अ), दिनांक 15 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ॥, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।